

प्रो-फार्मा ४

Report-81

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

श्री न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

१. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती - II, 3142 जमा 58 को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०यू० 23465 से अवकाश प्रयोजन के व्यय वहल करने हेतु 15,00,000/- रुपये (शब्दों में) 452 लाख का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(c)(a) 3142 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

२. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती - II के छ-महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के अर्धे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 57,220/- रु० है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती - II ने दिनांक 30.09.2014 को अपनी सरकारी सेवा के पन्द्रह/ अठारह वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

४. दिनांक 04.04.2018 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती - II के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

- (१) वर्ष 2016-17 की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि 523,65,957/- रु०
- (२) माह मार्च, 18 से माह अप्रैल, 18 तक प्रतिमाह की दर से अभिदान रु० 1,10,000/-
- (३) माह अप्रैल से माह मई तक प्रतिमाह रु० D.A. Amount 19,970/-
- की दर से अग्रिम की तसली रु० (क) 24,95,927/- रु०
- (४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु० 523,65,957/-
- (५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु० 0
- (६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (४) में से मद (५) घटाइये रु० 523,65,957/-
- (क) वर्ष 2016-17 की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती - II को पिछली बार आदेश संख्या 3142 दिनांक 30.09.2014 द्वारा 15,00,000/- रु० का कोई अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री श्रीमती - II को (जैसा कि उन्होंने बताया) 30.09.2014 (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० 15,00,000/- की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक 13.04.2018

समस्त अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।